अनुदान संख्या 18 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 18–DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	41,34,00	79,42,00	73,56,81	–5,85,19
पूरक	Supplementary	38,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,19,06
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	9,46,00	29,66,00	5,81,07	–23,84,93
पूरक	Supplementary	20,20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,73,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (585.19 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 3808.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.585.19 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of Rs.3808.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3456''	Major Head "3456"				
सिविल पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	1354.00	3942.41	3749.88	–192.53
पू.	S.	2807.00			
पु.	R.	–218.59			

(I) 15.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) शीर्ष ''निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजना'' के अंतर्गत 650.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1307.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1957.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय द्वारा कम उपयोग किए जाने के कारण 214.05 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) शीर्ष ''शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिताओं को सहायता - भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड'' के अंतर्गत 195.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में हस्तक्षेप की आवश्यकता का निराकरण होने से अच्छी बाजार स्थिति होने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (2384.93 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 2020.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 80 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of Rs.15.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under "Direction and Administration-Project under Consumer Welfare Fund"- the original provision of Rs.650.00 lakhs was augmented to Rs.1957.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1307.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.214.05 lakhs - due to less utilisation by Directorate of Advertising and Publicity.

(III) Under "Assistance to Consumers Co-operatives in Urban Areas - National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd." - saving of Rs.195.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to sound market position obviating the need to intervene in the supply of essential commodities through National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.2384.93 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.2020.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 80 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5475'' सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services					
मू.	O.	630.00	86.25	65.39	–20.86
पु.	R.	–543.75			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''7475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	46.00			
पू.	S.	2020.00	296.00	296.00	. .
पु.	R.	–1770.00			

(I) 600.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 540.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''5475'' – ''सिविल पूर्ति – राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग'' के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.600.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.540.00 lakhs alone was under Major Head "5475"- "Civil Supplies – National Consumer Disputes Redressal Commission"- due to non-commencement of work of building of National Consumer Dispute Redressal Commission at Indian National Army Complex by Ministry of Urban Development.

(II) मुख्य शीर्ष ''7475'' – ''सिविल पूर्ति – शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिताओं को कर्ज'' के अंतर्गत 46.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2020.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2066.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए छंटनी प्रतिपूर्ति को अगले वित्तीय वर्ष तक आस्थगित किए जाने के कारण 1770.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "7475"- "Civil Supplies- Loans to Consumer Co-operative in Urban Areas"- the original provision of Rs.46.00 lakhs was augmented to 2066.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2020.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1770.00 lakhs - due to deferment of retrenchment compensation to next financial year in view of Supreme Court verdict.